




अंचल कार्यालय, रानीश्वर, दुमका

आदेश फलक

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3
01/07/2020	<p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>ई राजस्व न्यायालय का ऑन लाईन केस नं0-6/2016-17 श्री नासीम खान ग्राम-हाकिमतपुर के जमाबंदी नं0-13 दाग सं0-60 एवं 118 जमीन को संबंधित राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन की मांग करें। दिनांक-17/07/2020 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">  अंचल अधिकारी, रानीश्वर। </p>	
17/07/2020	<p>राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त। जॉचोपरान्त प्रतिवेदित किया है कि आवेदक श्री नासीम खान द्वारा अतिक्रमण मापी हेतु आवेदन दिया है। आवेदित मौजा-हाकिमतपुर नं0-35 जमाबंदी नं0-13 के दाग सं0-60 रकवा 0-06-7 घूर एवं दाग सं0-118 रकवा 0-2-9 घूर जमीन खतियानी रैयत पिरू खों, गोहर खों बगैरह के नाम गेंजर खतियान में दर्ज है। आवेदित भूमि अतिक्रमण से संबंधित मामला नहीं है, यह मामला title एवं मापी से संबंधित है।</p> <p>अतः ऐसी स्थिति में ई-राजस्व न्यायालय वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है एवं निदेश दिया जाता है कि मापी हेतु Jharbhoomi.nic.in पर ऑन लाईन आवेदन करें एवं title हेतु समक्ष न्यायालय में वाद दायर करें।</p> <p>लेखापित</p> <p style="text-align: right;">  अंचल अधिकारी, रानीश्वर। </p> <p style="text-align: right;">  अंचल अधिकारी, रानीश्वर। </p>	

सेवा में

श्रीमान अंचलाधिकारी
राजीश्वर ।

द्वारा :- अंचल निरीक्षक राजीश्वर

विषय :- आवक नसीम खान ग्राम-इकीकपुर द्वारा जारी हेतु आवेदित
आवेदन का जांच प्रतिवेदन के संबंध में ।

महोदय,

अवधीत आवेदानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में मौजा-
इकीकपुर जाकर आवक नसीम खान ग्राम-इकीकपुर, पंचायत-काफीपुर
थाना-राजीश्वर द्वारा जारी हेतु आवेदित आवेदन का लक्षणीय जांच शासी
की उपस्थिति में किया। जांचोपरांत, एवं शर्तियों से पुष्ट-महत् के उपरांत
पाया कि जारी हेतु आवेदित मौजा-इकीकपुर सं. 35 जमाबंदी सं. 13
हाज सं. 60 कुल रकमा-00-06-07 धुर एवं हाज सं. 118 रकमा-00-02-09
धुर जमाबंदी रंगत पिर खाँ, गाँह खाँ वगैरह के नाम से गंजल सर्वे करिगत
में दर्ज हैं।

जारी हेतु आवेदित मुझे अतिक्रमण से संबंधित नहीं है। उक्त
मुझे का किल्ल जमाबंदी रंगत है।

अतः आवेदित आवेदन को अस्वीकृत किया जा सकता है।

6.7.2020
211

विकासभाजन
ज़िल्ल प्रदांी (रा.उ.नि.)
दफ्ता सं. - 05
दिनांक - 04.07.2020